सं0 : 32 /XXX(2)/2014–03(11)/2012

प्रेषक,

सी0एम0एस0बिष्ट
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 06 मई, 2014

विषयः– निःशक्तजन को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संः 17/जी0आई0/कार्मिक–2/2003, दिनांक 03 जून, 2003 तथा कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संः 1673/XXX(2)/2010, दिनांक 10 नवम्बर, 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निःशक्तता की तीन श्रेणियों (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (ख) श्रवणह्रास अथवा (ग) चलन क्रिया के अनुसार पद चिन्हित करते हुये निःशक्तजन को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने विषयक प्रक्रिया के सम्बन्ध में वृहद् दिशानिर्देश जारी किये गये थे।

2– सिविल अपील संख्या : 9096/2013, भारत सरकार व अन्य बनाम् राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2013 निम्न व्यवस्था निर्धारित की गयी है :–

"Thus, after thoughtful consideration, we are of the view that the computation of reservation for persons with disabilities has to be computed in case of group A,B,C,D in identical manner viz; "Computing 3% reservation on total number of vacancies in the cadre strenth" which is the intention of the legislature."

3– मा0 उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्तानुसार निःशक्तजनों के अधिकार को सुरक्षित रखने तथा आरक्षण नीति के समुचित क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है :– "The "appropriate Government" to compute the number of vacancies available in all the "establishment" and further identify the posts for disabled persons within a period of three months from today and implement the same without default."

4– मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय एवं दिशा–निर्देशों के क्रम में राज्याधीन सेवाओं में निःशक्तजनों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं :–

"समूह 'क','ख','ग', व 'घ' संवर्ग में सीधी भर्ती कोटे में सृजित समस्त पदों की कुल संख्या के आधार पर समूह 'क','ख','ग' व 'घ' के पदों पर निःशक्तजनों के लिए आरक्षण का आगणन किया जायेगा तथा आगणित पदों पर विकलांगता की श्रेणी चिन्हित करते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।"

निःशक्तजनों के आरक्षण के सम्बन्ध में इस शासनादेश से पूर्व निर्गत कार्यालय–ज्ञाप/शासनादेश उपर्युक्त शासनादेश में विहित प्रावधानों से असंगति की सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)

संख्या 1144 / कार्मिक–2–2001–53(1) / 2001

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

देहरादून : दिनांक 18 जुलाई, 2001

विषय

राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य में राज्याधीन सार्वजनिक उद्यमों / निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं / शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किये जाने सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आंकड़े उपलब्ध होने तक, वर्तमान में जनसंख्या (रेपिड सर्वे) के आंकड़ों के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियों की सकल जनसंख्या में उनके को एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरांचल राज्य में आरक्षण अनन्तिम निम्नवत् निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :–

(1) अनुसूचित जाति 19%
(2) अनुसूचित जनजाति 04%
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग 14%

2– शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जाय :–

(i) महिलाएं 20%
(ii) भूतपूर्व सैनिक 02%
(iii) विकलांग व्यक्ति 03%
(iv) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02%

3– महिला / व्यक्ति जिस वर्ग की होगी / होगा, उसे उसी वर्ग में हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।

4– आरक्षण के सम्बन्ध में स्थायी रूप से नीति का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

भवदीय,

राकेश शर्मा,
सचिव।

संख्या 1144 / कार्मिक–2–2001–53(1) / 2001

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

देहरादून : दिनांक 18 जुलाई, 2001

विषय

राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य में राज्याधीन सार्वजनिक उद्यमों / निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं / शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किये जाने सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आंकड़े उपलब्ध होने तक, वर्तमान में जनसंख्या (रेपिड सर्वे) के आंकड़ों के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियों की सकल जनसंख्या में उनके को एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरांचल राज्य में आरक्षण अनन्तिम निम्नवत् निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :–

(1) अनुसूचित जाति 19%
(2) अनुसूचित जनजाति 04%
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग 14%

2– शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जाय :–

(i) महिलाएं 20%
(ii) भूतपूर्व सैनिक 02%
(iii) विकलांग व्यक्ति 03%
(iv) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02%

3– महिला / व्यक्ति जिस वर्ग की होगी / होगा, उसे उसी वर्ग में हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।

4– आरक्षण के सम्बन्ध में स्थायी रूप से नीति का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

भवदीय,

राकेश शर्मा,
सचिव।

संख्या 1144 (1)/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
3. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

आर0 सी0 लोहनी,
अनु सचिव।

उत्तरांचल शासन

कार्मिक विभाग

संख्या : 1415/का–2/2001

देहरादून, दिनांक 30 अगस्त, 2001

चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध
में विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है,
जो आवश्यक व समीचीन हों;

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए
तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (
आरक्षण) अधिनियम, 1994, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है;

अत:, अब, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का
प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं, कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों
तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रावधानों के अध्यधीन लागू
रहेगा–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ– (1) यह आदेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश) 2001 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में जहाँ–2 शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया
है, वहाँ–2 "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में उत्तरांचल लोक सेवाओं में
आरक्षण– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए
आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 3(1) में अनुसूचित जातियों मामले में इक्कीस प्रतिशत के स्थान पर उन्नीस
प्रतिशत, अनुसूचित जन–जातियों के मामले में दो प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े
वर्गों के मामले में सत्ताईस प्रतिशत के स्थान पर चौदह प्रतिशत पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,

सचिव, कार्मिक।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1415/Ka-2/2001, Dated 30.8.2001:

No. 1415/Ka-2/2001

Dated Dehradun, August 30, 2001

Whereas, under section 87 of the Uttar Pradesh REORGANISATION ACT, 2000, the Uttaranchal Government may, by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as necessary or impedient;

And, Whereas, Uttar Pradesh Lok Sava (Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Caste Reservation) Act, 1994 is inforce in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act 2000;

Now, Therefore, in exercise of the powers under section 87 of Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act No. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttatr Pradesh Lok Seva (Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Cast Reservation) Act, 1994, shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order:--

UTTAR PRADESH LOK SEVA (SCHEDULED CASTE, SCHEDULED TRIBE AND OTHER BACKWARD CASTE RESERVATION) ACT (UTTARANCHAL ADAPTATION AND MODIFICATION) ORDER, 2001

1.Short title and Commencement--(1) This order may be called Uttar Pradesh Lok Seva (Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Caste Reservation) Act (Uttaranchal Adaptation and Modification) Order, 2001.

(2) It shall come into force at once.

2. In Uttar Pradesh Lok Seva (Scheduled Caste Scheduled Tribe and Other Backward Caste Reservation) Act the expression "Uttar Pradesh" occurs, it shall be read as "Uttaranchal".

3. Reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other Backward caste in public services of Uttaranchal--The reservation percentage enshrined in section 3 of Uttar Pradesh Lok Seva (Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Caste) Act, 1994 in respect of Scheduled Caste be read Nineteen percent instead of Twenty-one percent, in respect of Scheduled Tribe be read Four percent instead of Two percent and other Backward caste be read Fourteen percent instead of Twenty-seven percant.

By Order,

RAKESH SHARMA
Secretary, Karmik

संख्या 1415 (1)/कार्मिक–2/2001, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
(2) सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल शासन।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल शासन।
(5) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
(6) निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
(7) आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल, देहरादून।
(8) सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
(9) समस्त मत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ।
(10) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
सचिव, कार्मिक।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994[1]

(उ0प्र0 अधिनियम सं0 4, सन् 1994[1])

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में राज्य सेवाओं और पदों पर आरक्षण की और उससे सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं–इस अधिनियम में–

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए सशक्त प्राधिकारी से है ;

(ख) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ग) "लोक सेवाओं और पदों" का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की सेवायें और पद भी हैं:–

(एक) स्थानीय प्राधिकारी,

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूँजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न हो,

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूँजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो,

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है,

(पाँच) जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को सरकार के आदेशों द्वारा, आरक्षण लागू था और जो उपखण्ड (एक) से (चार) के अधीन अच्छादित नहीं है;

(घ) किसी रिक्ति के सम्बन्ध में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसे रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये, से है।

3. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण–(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा :–

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में	– इक्कीस प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में	– दो प्रतिशत
(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में	– सत्ताईस प्रतिशत:

[1] गजट (आवश्यक) भाग–3 (क) में दि0 23–3–94 को प्रकाशित हुआ।

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा।

(2) यदि, भर्ती के किसी वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित की रिक्ति बिना भरे रह जाये तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती, तीन से अनधिक, उतनी बार की जायेगी जैसी आवश्यक समझी जाये।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीसरी ऐसी भर्ती में अनुसूचित जाति, जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायेगी।

(4) जहाँ उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष भर्ती के पश्चात् भी बिना भरी रह जाती है तो उसे पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले अगले वर्ष में जिसमें भर्ती की जानी है, इस शर्त के अधीन अग्रनीत किया जा सकेगा कि उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का कुल आरक्षण उस वर्ष में कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा, एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत् रूप से लागू रहेगा, जब तक वह समाप्त न हो जाये।

(6) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

(7) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाये।

4. अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

5. शास्ति–(1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह, दोषसिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार की किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की, स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

6. अभिलेख मांगने की शक्ति–यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा 3 की उपधारा (1) उल्लिखित किन्ही भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो ऐसे अभिलेखों को मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।

7. चयन समिति में प्रतिनिधित्व–राज्य सरकार, आदेश द्वारा, चयन समिति में, ऐसी सीमा तक और ऐसे से जैसी आवश्यक समझी जाये और जहाँ ऐसी समिति किसी सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाये, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों के निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है।

8. छूट और शिथिलीकरण–(1) राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के बारे में, आदेश द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के सम्बन्ध में ऐसी छूट और उच्चतर आयु सीमा के सम्बन्ध में शिथिलीकरण कर सकती है, जैसी वह आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में ऐसी छूटों और शिथिलीकरणों जिनके अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस में छूट और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को प्रवृत्त सरकार के आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें यथास्थिति, उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाये।

9. जाति प्रमाण–पत्र–इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण–पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।

10. कठिनाइयों को दूर करना–यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

11. सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण–इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

12. नियम बनाने की शक्ति–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

13. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों को संशोधित कर सकती और गजट ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों को तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा।

14. आदेशों इत्यादि का रखा जाना–धारा 3 की उपधारा (5), धारा 4 की उपधारा (1) और (2) और धारा 10 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश और धारा 13 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

15. अपवाद–(1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण–जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार–

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर ; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर,

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

16. निरसन और अपवाद–(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1989, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों और अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

नोट – उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1989; उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1993; उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5, सन् 1994।

अनुसूची–एक

[देखिए धारा 2(ख)]

1–अहीर
2–अरख
3–काछी
4–कहार
5–केवट या मल्लाह
6–किसान
7–कोइरी
8–कुम्हार
9–कुर्मी
10–कम्बोज
11–कसगर
12–कुंजड़ा या राईन
13–गोसाई
14–गूजर
15–गड़ेरिया
16–गद्दी
17–गिरि
18–चिकवा (कस्साब)
19–छीपी
20–जोगी
21–झोजा
22–डफाली
23–तमोली
24–तेली
25–दर्जी
26–धीवर
27–नक्काल
28–नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
29–नायक
30–फकीर
31–बंजारा
32–बढ़ई
33–बारी
34–बैरागी
35–बिन्द
36–बियार
37–भर
38–भुर्जी या भड़भूजा
39–भठियारा
40–माली, सैनी
41–मनिहार
42–मुराव या मुराई
43–मोमिन (अंसार)
44–मिरासी
45–मुस्लिम कायस्थ
46–नद्दाफ (धुनिया) मन्सूरी
47–मारछा
48–रंगरेज
49–लोध, लोधा, लोधी, लोट, राजपूत
50–लोहार
51–लोनिया
52–सोनार
53–स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
54–हलवाई
55– हज्जाम (नाई)

अनुसूची—दो

[देखिए धारा 3(1)]

1— निम्नलिखित की पुत्र या पुत्री—

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा,
(क) सीधी भर्ती किया गया या किसी राज्य सेवा से पदोन्नत
भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा या अन्य केन्द्रीय सेवा का कोई सदस्य; या

उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा या किसी अन्य राज्य सेवा का कोई
(ख) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा),
सदस्य, जो ऐसी सेवा में सीधी भर्ती से आया हो; या

शैक्षिक शोध या किसी अन्य
(ग) भारत सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय या ऐसे विभाग या मंत्रालय के अधीन
संस्था के समूह 'क'/श्रेणी एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (क) में सम्मिलित नहीं है; या

एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (ख)
(घ) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्था के समूह 'क'/श्रेणी
में सम्मिलित नहीं है; या

(ङ) सशस्त्र सेना या अर्द्धसैनिक बल का कोई अधिकारी जो कर्नल या समकक्ष पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो:

या अधिक हो, उसकी पत्नी
परन्तु सेवा के ऐसे सदस्य या अधिकारी की वेतन से आय प्रतिमाह दस हजार रुपये या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसका या उसकी पत्नी का नगर क्षेत्र में अपना मकान हो।

की वृत्ति में लगे या सम्पर्क और
2— चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, अभियन्ता, वकील, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउन्टेंट
व्यवसायी या शिक्षण संस्था या कोचिंग
जन व्यवसायी, प्रबन्ध और अन्य परामर्शी, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म
इंस्टीट्यूट चलाने वाले या शेयर या स्टॉक दलाल या मनोरंजन के व्यवसाय में लगे हुए किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री:

आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो,
परन्तु उसकी सभी श्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत
बीस लाख रुपये की अचल
उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम
सम्पत्ति हो।

रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी
3— किसी व्यवसायी, जिसकी अनवरत तीन वर्षों की औसत आय दस लाख
बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति
पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम
हो, का पुत्र या पुत्री।

रुपये से अधिक हो और ऐसी
4— किसी उद्योगपति, जिसकी चालू इकाइयों में विनियोजन का स्तर दस करोड़
या उसका पति कम से कम स्नातक
इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन में कम से कम पांच वर्षों से लगी हों और उसकी पत्नी
हो, का पुत्र या पुत्री।

अधिनियम, 1960 के अधीन नियत
5— किसी व्यक्ति, जिसके पास उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण
आदि जैसे श्रोतों से किसी वित्तीय
सीमा के भीतर जोत हो, जिसकी कृषि से आय को छोड़कर वेतन, व्यवसाय या उद्योग
वर्ष में आय दस लाख रुपये हो और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

वित्तीय वर्षों की
किसी व्यक्ति, जो उपरिलिखित श्रेणियों में सम्मिलित न हो, जिसकी सभी श्रोतों से अनवरत
स्नातक हो और उसके
औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम
परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार नारंग,

सचिव।

उद्देश्य और कारण

अध्यादेश अधिनियम सं0 4, सन् 1994 के उद्देश्य एवं कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1989 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में लोक सेवाओं में समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' के पदों में पन्द्रह प्रतिशत और समूह 'घ' के पदों में दस प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इन्द्रा साहनी आदि बनाम भारत संघ में दिनांक 16 नवम्बर, 1992 के अपने निर्णय में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में समुन्नत व्यक्तियों को छोड़कर लोक सेवाओं में 27 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण की संवैधानिकता को उचित ठहराया था। राज्य सरकार ने समुन्नत वर्ग के व्यक्तियों के अवधारण के लिए और आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण करने के लिए गठित समितियों की रिपोर्टों और अन्य पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में रिक्तियों के ... प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने का विनिश्चय किया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और इस विषय में तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, इसलिए राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 1993 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2, सन् 1993) प्रख्यापित किया गया। अन्य बातों के अतिरिक्त अध्यादेश में यह भी व्यवस्था की गयी थी कि बिना भरी रह गयी आरक्षित रिक्तियाँ अगले वर्ष में अग्रनीत नहीं की जायेंगी।

बाद में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए बिना भरी रह गयी आरक्षित रिक्तियों को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्तियों का कुल आरक्षण भर्ती के उस वर्ष में कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, अग्रनीत करने की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उपान्तरों सहित उपयुक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

38

कार्मिक अनुभाग–1, संख्या–1/1/94–कार्मिक–1/1994, दिनांक 25 मार्च, 1994

विषय–उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 23 मार्च, 1994 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे उक्त अधिनियम के निम्नलिखित मुख्य–मुख्य धाराओं/व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है:–

(1) इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में लोक सेवाओं और पदों को विस्तार से परिभाषित किया गया है, जिसके इस अधिनियम के अनुसार आरक्षण लागू होगा। उक्त खण्ड (ग) के अनुसार यह आरक्षण राज्य के कार्यकलाप सम्बन्धित समस्त सेवाओं और पदों स्थानीय प्राधिकारी (लोकल अथारिटीज) की सभी सेवाओं और पदों, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथापरिभाषित ऐसी समस्त सहकारी समितियों जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति के अंश पूंजी के 51% से कम न हो, की सभी सेवाओं/पदों, बोर्डों, निगमों, कानूनी निकायों जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हों और ऐसी सभी संस्थाओं कम्पनियों जिनमें सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूंजी 51% से कम न हो, से सम्बन्धित सभी सेवाओं और पदों, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थाओं को छोड़कर राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी शिक्षण संस्थाओं या जो सरकार से अनुदान प्राप्त करती हों, जिसके अन्तर्गत किसी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, की सभी सेवाओं और पदों तथा समस्त सेवाओं और पदों जिनमें इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक (अर्थात् 11 दिसम्बर, 1993) को सरकार आदेशों द्वारा आरक्षण लागू था, पर उक्त आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू होंगे।

(3) उपरोक्त समस्त सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों के पक्ष में 21%, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 2% और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में 27% आरक्षण सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, सरकार द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार लागू होगा।

(4) यदि किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जायेगी तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती, तीन से अनधिक उतनी बार की जायेगी, जितनी बार आवश्यक हो और ऐसी तीसरी भर्ती में भी अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायेगी।

(5) यदि आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात् उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो।

(6) इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझ कर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य किये जाने पर, सम्बन्धित अधिकारी, जिसे हम अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा सौंपा जायेगा, दोषसिद्ध होने पर अधिकतम तीन मास के कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

(7) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक (11 दिसम्बर, 1995) को पदोन्नति के मामलों में आरक्षण से सम्बन्धित सरकार के जो आदेश लागू थे, वह यथावत् लागू होंगे।

2. आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि संलग्न अधिनियम, 1994 के समस्त प्रावधानों का सभी स्तर पर, उन सभी लोक सेवाओं व पदों के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, जिनका उल्लेख इस आदेश के प्रस्तर–1 के खण्ड (1) में किया गया है। यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी आप कृपया अवगत करा दें ताकि इन प्रावधानों का सभी संगत मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

उत्तरांचल शासन

कार्मिक विभाग

संख्या 1472 / कार्मिक–2 / 2002

देहरादून, दिनांक 07 नवम्बर, 2002

चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हों;

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :–

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ– (1) यह आदेश उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 में जहाँ–2 शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है, वहाँ–2 वह शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1472/Ka-2/2002, Dated 07.11.2002:

No. 1472/Ka-2/2002

Dehradun Dated, November 07, 2002

Whereas, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Uttaranchal Government may, by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as necessary or impedient;

And, Whereas, Uttar Pradesh Lok Seva (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred under section 87 of Uttar Pradesh reorganisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order:--

UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED,DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) ACT, 1993] ADAPTATION & MODIFICATION ORDER, 2002

1.Short title and Commencement--(1) This order may be called Uttaranchal [The Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993] Adaptation & Modification Order, 2002.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 whereever the expression "Uttar Pradesh" occurs, it shall be read as "Uttaranchal".

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,

Secretary.

संख्या 1472 (1)/कार्मिक–2/2002, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

(2) सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।

(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल शासन।

(4) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल शासन।

(5) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।

(6) निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।

(7) आयुक्त, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक, उत्तरांचल, देहरादून।

(8) सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।

(9) समस्त मत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ।

(10) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,

सचिव।

संख्या 1694/सत्रह–वि–1–1–(क) 27/1993 लखनऊ : 30 दिसम्बर, 1993

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उ प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्ष विधेयक, 1993 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1993)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आर की व्यवस्था करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वत संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 कहा जायेगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2–परिभाषायें– इस अधिनियम में–

(क) "पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ख) "आश्रित" का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के–

(एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), और

(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है;

(ग) "भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थलसेना, नौसेना या वायुसेना में किसी में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो–

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गयी है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है,

और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं:–

(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,

(दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और

(तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले;

(घ) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता में भाग लिया था और–

(एक) जिसने वीर गति प्राप्त की हो; या

(दो) जिसने कम से कम दो मास की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा हो; या

(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए निरुद्ध हुआ हो; या

(चार) जिसने कम से कम दस बेतों या दण्ड भोगा हो; या

(पांच) जो गोली से घायल हुआ हो; या

(छः) जिसे फरार घोषित किया गया हो; या

(सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो; या

(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो; या

(नौ) जो इण्डिया इण्डपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो; या

(दस) जिसे गांधी–इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

स्पष्टीकरण– इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं समझा जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

(ङ) जो पूर्ण दृष्टिहीनता से ग्रस्त हो या जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के अन्तर से या उससे कम हो या जिसकी दृष्टि तीक्ष्णता चश्में के साथ ठीक आँख में 6/60 या 20/200 (सेनालिन) से अधिक न हो; या

(दो) जिसे जीवन के सामान्य प्रयोजन के लिए सुनने का बोध न हो या जिसकी ठीक कान में सुनने की क्षमता की क्षति 90 डेसिबल से अधिक हो या जो दोनों कानों से पूर्णरूप से न सुन सके, या

(तीन) जिसे शारीरिक दोष हो या अंग विकृति हो जिससे कार्य करने में हड्डियों, पेशियों और जोड़ों के सामान्य कार्य करने में बाधा पड़ती हो;

(च) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

3–शारीरिक रूप से विकलांग आदि के पक्ष में रिक्तियों का आरक्षण–(1) राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों का पांच प्रतिशत निम्नलिखित के पक्ष में आरक्षित होगा:–

(एक) शारीरिक रूप से विकलांग,

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, और

(तीन) भूतपूर्व सैनिक।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों का अलग–अलग कोटा वह होगा जो राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित आदेश द्वारा अवधारित करे।

(3) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह पिछड़े वर्ग श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा। इसी प्रकार यदि वह खुली प्रतियोगिता श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित श्रेणी में रखा जायेगा।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भर्ती का वर्ष इकाई के रूप में लिया जायेगा न कि यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या :

परन्तु किसी भी समय आरक्षण, यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या में अपनी–अपनी श्रेणियों के लिए अनुज्ञात कोटे से अधिक नहीं होगी।

(5) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों के लिए बिना भरे रहने पर उन्हें भर्ती के अगले वर्ष में अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

4–कठिनाइयों को दूर करना–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम में उपबन्धों से असंगत नहीं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्त शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

5–अपवाद– इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो।

6–निरसन और अपवाद– (1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग आदि के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1993, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, सन् 1993 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

एन0 के0 नारंग,

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1087 / सत्रह–वि–1–1 (क) 12–1997

लखनऊ, 31 जुलाई, 1997

अधिसूचना

विविध

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1997)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

(2) यह 9 जुलाई, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1993 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में–

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(क) "दृष्टिहीनता" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है जहाँ कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित हो, अर्थात:–

(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव; या

(दो) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर आँख में 6/60 या 20/200 (सेनालिन) से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता; या

(तीन) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होना;

(कक) "प्रमस्तिष्क अंगघात" का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व, प्रसव–कालीन या शैशव काल में होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से पारिणामिक असामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है।"

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"(घघ) "श्रवण ह्रास" का तात्पर्य संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हानि से है;

(घघघ) "चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता" का तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की ऐसी निःशक्तता से है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो।

(घघघघ) "कम दृष्टि" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती है जहाँ ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार के पश्चात् भी दृष्टि सम्बन्धी कृत्य के ह्रास से ग्रसित हो किन्तु वह समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हो या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो;"

(ग) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:–

(ङ) "शारीरिक रूप से विकलांग" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित से ग्रसित हो :–

(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;

(दो) श्रवण ह्रास;

(तीन) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।"

(घ) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(च) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में परिभाषित शब्दों और पदों के वहीं अर्थ होंगे जो उनके लिए उस समय अधिनियम में समनुदेशित किये गये है।"

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में– धारा 3 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नलिखित आरक्षण होगा:–

(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम–सेनानियों के आश्रितों के लिए और रिक्तियों का एक प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए,

(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अभिज्ञात करे, रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए :–

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;

(ख) श्रवण ह्रास;

(ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता य प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "पिछड़े वर्ग" के स्थान पर शब्द "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी।

(ङ) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

(5) जहाँ उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रनीत किया जायेगा।"

धारा 4 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

धारा 5 का प्रतिस्थापन

5–मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

"अपवाद 5–(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण :– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए वहाँ चयन प्रक्रिया आरम्भ की गयी समझी जायेगी, जहाँ सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती–

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो और वहाँ यथास्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों के आधार पर की जानी हो और वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो गयी हो।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1994 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।"

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, सन् 1997

6–(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के प्राविधान सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव।

संख्या 18/1/95–का–2/1995–टी0सी0–1/97

प्रेषक,

जगजीत सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 1997

विषय– उ0प्र0 लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 30 जुलाई, 1997 को प्रख्यापित उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन)।

संख्या 1454/कार्मिक–2/2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव,
कार्मिक विभाग।
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल।
(3) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 31 अगस्त, 2001

विषय – सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर।

महोदय,

उत्तरांचल में आरक्षण नीति लागू करने विषयक शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक–2/2001–53(1), दिनांक 18 जुलाई, 2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 19 प्रतिशत अनुसूचित जन–जाति के लिए 04 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु 14 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. उपरोक्त आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु सीधी भर्ती में रोस्टर निम्नवत् तैयार किया गया है :–

(1) अनुसूचित जाति
(2) अनारक्षित
(3) अनारक्षित
(4) अनारक्षित

(5) अनारक्षित
(6) अनुसूचित जाति
(7) अन्य पिछड़ा वर्ग
(8) अनारक्षित
(9) अनारक्षित
(10) अनारक्षित
(11) अनुसूचित जाति
(12) अनारक्षित
(13) अनारक्षित
(14) अन्य पिछड़ा वर्ग
(15) अनारक्षित
(16) अनुसूचित जाति
(17) अनारक्षित
(18) अनारक्षित
(19) अन्य पिछड़ा वर्ग
(20) अनारक्षित
(21) अनुसूचित जाति
(22) अनारक्षित
(23) अनारक्षित
(24) अनुसूचित जनजाति
(25) अनारक्षित
(26) अनुसूचित जाति
(27) अनारक्षित
(28) अन्य पिछड़ा वर्ग
(29) अनारक्षित
(30) अनारक्षित
(31) अनुसूचित जाति
(32) अनारक्षित
(33) अनारक्षित
(34) अनारक्षित
(35) अन्य पिछड़ा वर्ग
(36) अनुसूचित जाति
(37) अनारक्षित
(38) अनारक्षित
(39) अनारक्षित
(40) अनारक्षित
(41) अनुसूचित जाति
(42) अन्य पिछड़ा वर्ग
(43) अनारक्षित
(44) अनारक्षित
(45) अनारक्षित
(46) अनुसूचित जाति
(47) अनारक्षित
(48) अनुसूचित जाति
(49) अन्य पिछड़ा वर्ग